# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम भंवरलाल पुत्र लिछमणराम जाट सबलपुरा वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 235/2021 GCMS No.2020/00349

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.09.2021 | वकील अप्रार्थी श्री प्रवीण कुमार द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं नगरपालिका कुचामनसिटी में जमा पत्रावली की रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 179/103 रकबा 0.37 हैक्टर की खातेदारी भूमि आई हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि को गैर अकृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी में प्रक्रियाधीन है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गई 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सकें।<br>प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत जवाब मय शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि से संबंधित पत्रावली रूपान्तरण कराये जाने हेतु नगरपालिका कुचामनसिटी में अप्रार्थी द्वारा जमा करा दी गई है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत रसीद से होती है, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है, चूँकि प्रश्नगत भूमि को नगरपालिका कुचामनसिटी से रूपान्तरित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर)<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Babu Lal Jat<br>Date: 2021.12.21 17:11:29 IST<br>Reason: SelfAttested | |